78

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कि0रेनवाल, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सुनीता मीणा R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 95/ 2024 **दायर तारीख :– 01.10.2024**

1. बंशी पुत्र कल्याण
2. बोदूराम पुत्र गंगूराम

समस्त जाति नाई नि0 नान्दरी तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज.

वादीगण

बनाम

1. श्रीया पुत्र श्रीनारायण
2. अनिल कुमार पुत्र रामचन्द्र
3. छीतर पुत्र कल्याण
4. दुर्गाप्रसाद पुत्र गंगू
5. बनवारी पुत्र कल्याण
6. बजरंग पुत्र अमरचन्द

   समस्त जाति नाई नि0 नान्दरी तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज.
7. विमला पुत्री अमरचन्द पत्नि राजकुमार जाति नाई नि0 बोबास तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज.
8. संतोष पुत्री रामचन्द्र पत्नि रमेश जाति नाई नि0 पीपलोद त्रिवेणी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज.
9. सपना पुत्री रामचन्द्र पत्नि चेतन जाति नाई नि0 मुण्डली तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज.
10. मीना पुत्री रामचन्द्र पत्नि विनोद जाति नाई नि0 पीपलोद त्रिवेणी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज.
11. मुन्नीदेवी पुत्री कल्याण पत्नि छीतर जाति नाई नि0 देवली तहसील नांवा जिला नागौर राज.
12. पार्वती पुत्री कल्याण पत्नि शंकर जाति नाई नि0 बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज.
13. उर्मिला पुत्री कल्याण पत्नि मालीराम जाति नाई नि0 बोबास तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज.
14. दी सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा जयपुर
15. तहसीलदार कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0
16. उप पंजीयक कि0रेनवाल जिला जयपुर राज.

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री रामसिंह, अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

निर्णय दिनांक 1.8.24

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि अन्तिम चौसला संवत् 2076 से 2079 जमाबन्दी संवत् 2076 में वर्णित आराजी खाता सं0 52 में वर्णित आराजी खं0नं0 189 रकबा 5.3615 हैक्टर, खं0नं0 327 रकबा 2.2635 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 7.6250 हैक्टर वाकै ग्राम नान्दरी प0ह0 नान्दरी भू0अ0नि0क्षे0 मुण्डियागढ़ तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज. में स्थित है। जिसमें प्रतिवादी सं0 2 व 3 का प्रत्येक का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 4 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 6 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 5 का 1/18 हिस्सा, वादी सं0 1 का 1/18 हिस्सा, वादी सं0 2 का 1/6 हिस्सा, मनभरी पत्नि कल्याण का 1/18 हिस्सा, राजकुमार पुत्र अमरचन्द का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 का 1/3 हिस्सा है। उक्त खातेदारान में राजकुमार पुत्र अमरचन्द अविवाहित नाबालिग अवस्था में फौत हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी सं0 6 बजरंग व प्रतिवादी सं0 7 विमला है जो मृतक के 1/36 हिस्से

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रेनवाल

पर काबिज काश्त है एंव खातेदार मनभरीदेवी पत्नि कल्याण का दिनांक 17.03.24 को स्वर्गवास हो चुका है जिसके छोड़े हुये 1/18 हिस्सें में वादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 2, 3, 5 लगा0 13 वारिस है जो मनभरी के हिस्से पर काबिज है। वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की संयुक्त कब्जें काश्त व खातेदारी एवं संयुक्त कब्जें की अविभाजित भूमि है प्रतिवादी सं0 1 श्रीया पुत्र नारायण नाम का कोई व्यक्ति कभी ग्राम नांदरी में नहीं हुआ। वरवक्त पर्चा खातेदारी पक्षकारान के बुजुर्ग गंगू व कला उर्फ कल्याण पुत्र महादेव कौम नाई सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर काबिज थे एवं उनके देहावसान पश्चात् वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 लगा0 13 सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। खातेदार राजकुमार का अविवाहित स्वर्गवास हो जाने से उसके हिस्से 1/36 की आराजी में विमला एवं बरजंग बहिस्सा बराबर बराबर के हकदार है एवं मनभरी के स्वर्गवास होने पर उसके 1/18 हिस्से में मुताबिक सिजरा खानदान वादी सं0 1 बंशी हिस्सा 1/8 का, प्रतिवादी सं0 3 हिस्सा 1/8 का प्रतिवादी सं0 2, 8, 9, 10 संयुक्त रूप से हिस्सा 1/8 का, प्रतिवादी सं0 6, 7 संयुक्त रूप से हिस्सा 1/8 एवं प्रतिवादी सं0 5 हिस्सा 1/8 का, प्रतिवादी सं0 11 हिस्सा 1/8 का, प्रतिवादी सं 12 हिस्सा 1/8 का, प्रतिवादी सं0 13 हिस्सा 1/8 के हकदार है एवं काबिज है। विवादित आराजीयात राजस्व रिकोर्ड में अविभाजित आराजीयात है एवं संयुक्त खातेदारी अंकन है पक्षकारान के हिस्सेनुसार आराजी अलहदा अलहदा न होने के कारण विकसित करने में व्यवधान पैदा होता है। प्रतिवादी सं0 1 नाम का कोई व्यक्ति ग्राम नांदरी में नहीं हुआ जिसका नाजायज फायदा उठाते हुये आयेदिन कोई न कोई व्यक्ति स्वंय को श्रीया पुत्र श्रीनारायण जाहिर कर जबरन कब्जा करने एवं वादगस्त आराजी में श्रीया के नाम दर्ज हिस्सें की भूमि विक्रय करने जबरन कब्जा कराने की धमकी देते रहते है यदि कोई व्यक्ति श्रीया नाम का नाजायज फायदा उठाकर स्वंय को श्रीया जाहिर कर उसके हिस्सें की आराजी विक्रय कर देता है तो कब्जें काश्त को लेकर विवाद होने का अदेंशा है। दिनांक 25.09.2024 को कुछ अजनबी व्यक्ति विवादग्रस्त आराजी पर आये ओर उनमें एक व्यक्ति अपने आपको श्रीया होना जाहिर कर आराजी विक्रय करने एवं जबरन मनचाहा भाग पर कब्जा कराने की धमकी दी। ऐसी स्थिति में वादीगण के हकूकों की रक्षार्थ यह वाद मान्य न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादीगण की ओर से वादी बंशीलाल व गवाह आनन्दीलाल, मदनलाल शर्मा के शपथ पत्र पेश कर बयान लेखबद्व करवाये गये।
3. बहस वकील वादीगण सुनी गयी। वादीगण ने मुताबिक अनुतोष वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।
4. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का मुख्य आधार यह अंकित किया गया है कि श्रीया पुत्र नारायण नाम का कोई व्यक्ति ग्राम नान्दरी में नहीं हुआ इसलिए उक्त व्यक्ति के नाम 1/3 हिस्सें का पर्चा खातेदारी गलत जारी किया गया है वरवक्त पर्चा खातेदारी सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी पर गंगू व कला उर्फ कल्याण पुत्र महादेव कौम नाई का कब्जा था तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 लगा0 13 का वादग्रस्त आराजीयात पर संयुक्त रूप से कब्जा है इसलिए सम्पूर्ण वादग्रस्त

आराजी का पक्षों मन्नू व कमला उर्फ कल्याणा पुत्रान महादेव कौम नाई के नाम दर्ज किया जाना चाहिए थी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में कार्यालय ग्राम पंचायत नायडी का प्रमाण पत्र पेश किया है जिसमें सरपंच द्वारा उक्त प्रमाण पत्र में अंकित किया है कि श्रीमा पुत्र [illegible] आदि नाई ग्राम के मूल [illegible] ग्राम पंचायत नायडी में इस नाम का व्यक्ति न तो वर्तमान में है न ही [illegible] परिवार, पंचायत सम्बन्धित किसी भी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है तथा इसी प्रकार कार्यालय ग्राम पंचायत मुण्डियागढ़ का सत्यापन पत्र प्रमाण पत्र पेश किया है जिसमें सरपंच द्वारा उक्त प्रमाण पत्र में अंकित किया है कि श्रीमा पुत्र [illegible] नाई ग्राम पंचायत मुण्डियागढ़ का निवासी नहीं है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि वादीगण के विवादित 1/3 हिस्से की आराजी पर उनका कब्जा काश्त शुरू से [illegible] वादी सं0 1 [illegible] व उसके [illegible] के शपथ पत्र पेश कर बयान [illegible] करवाये गये हैं मौखिक साक्ष्य में भी गवाहान ने अपने शपथ पत्र में अंकित किया है कि प्रतिवादी सं0 1 ग्राम नायडी में कभी कोई व्यक्ति नहीं रहा [illegible] खातेदारी [illegible] के पुत्रान मन्नू व कमला उर्फ कल्याणा पुत्र महादेव कौम नाई सम्पूर्ण [illegible] भूमि पर काबिज थे तथा उनकी मृत्यु के बाद अब उनके वारिसान वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 लगा0 13 [illegible] भूमि पर काबिज है इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह साबित है कि [illegible] 1/3 हिस्से की आराजी पर मन्नू व कमला उर्फ कल्याणा पुत्रान महादेव का कब्जा रहा है तथा वादीगण दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह साबित करने में सफल रहे है कि विवादित 1/3 हिस्से की आराजी उनके कब्जे काश्त व खातेदारी की रही है इसलिए मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण अपना वाद साबित करने में सफल रहे हैं इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य की विवेचना के आधार पर वादीगण का वाद साबित होने के आधार पर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादी सं0 1 आंशिक स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा0 189 रकबा 5.365 हैक्टर, खसरा 327 रकबा 2.285 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 7.650 हैक्टर वाके ग्राम नायडी [illegible] तहसील [illegible] जिला जयपुर राज. में दर्ज [illegible] मुण्डियागढ़ [illegible] का नाम हटाकर प्रतिवादी सं0 1 व उसके पश्चात् [illegible] का नाम हटाकर प्रतिवादी सं0 2 लगा0 13 को उसके नाम दर्ज 1/3 हिस्से का वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 लगा0 13 को [illegible] के 1/36 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मृतक [illegible] के 1/18 हिस्से का प्रतिवादी सं0 6 व 7 को व मृतक [illegible] पत्नि कल्याणा के 1/18 हिस्से का वादी सं0 1 को 1/3 हिस्से, प्रतिवादी सं0 3 को 1/3 हिस्से, प्रतिवादी सं0 2, 8 लगा0 10 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से, प्रतिवादी सं0 6 व 7 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से, प्रतिवादी सं0 5 को 1/3 हिस्से प्रतिवादी सं0 [illegible] लगा0 13 को प्रत्येक को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

निर्णय दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[illegible] RAS
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

[illegible]

डिक्री मुकदमा इस्तकरारी (धा. 88 कान. 8 व 7 (रा. दीवानी)) कि0रेनवाल

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी कि0रेनवाल

पीठासीन अधिकारी :- सुनीता मीणा आर.ए.एस.

1. बसी पुत्र कल्याण
2. मोहनलाल पुत्र कन्हैयालाल

समस्त जाति नाई नि0 नान्दरी तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज.

वादीगण

बनाम

1. श्रीराम पुत्र श्रीनारायण
2. अनिल कुमार पुत्र रामचन्द्र
3. भीतर पुत्र कल्याण
4. दुर्गाप्रसाद पुत्र भंवरू
5. बनवारी पुत्र कल्याण
6. बनवारी पुत्र अमरचन्द

समस्त जाति नाई नि0 नान्दरी तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज.

7. निर्मला पुत्री अमरचन्द पत्नि राजकुमार जाति नाई नि0 बोबास तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज.
8. संतोष पुत्री रामचन्द्र पत्नि रमेश जाति नाई नि0 पीपलोद त्रिवेणी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज.
9. सपना पुत्री रामचन्द्र पत्नि चेतन जाति नाई नि0 गुण्डली तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज.
10. सीमा पुत्री रामचन्द्र पत्नि विनोद जाति नाई नि0 पीपलोद त्रिवेणी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज.
11. सुन्दीदेवी पुत्री कल्याण पत्नि भीतर जाति नाई नि0 देवली तहसील मांजा जिला नागौर राज.
12. पार्वती पुत्री कल्याण पत्नि शंकर जाति नाई नि0 बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज.
13. उर्मिला पुत्री कल्याण पत्नि भागीरथ जाति नाई नि0 बोबास तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज.
14. दी सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा जयपुर
15. तहसीलदार कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0
16. उप पंजीयक कि0रेनवाल जिला जयपुर राज.

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 95/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री रामसिंह व हाजरी ...... मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादी सं0 1 आंशिक स्वीकार किया जाकर आराजी ख0नं0 189 रकबा 5.3615 हैक्टर, ख0नं0 327 रकबा 2.2635 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 7.6250 हैक्टर वाकै ग्राम नान्दरी प0हा0 नान्दरी भू0अ0नि0वृ0 मुण्डियागढ़ तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज. में दर्ज प्रतिवादी सं0 1 व उसके पश्चात पेमाराम पुत्र मूलचन्द का नाम हजफ कर उसके नाम दर्ज 1/3 हिस्से का वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 लगा0 13 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मृतक राजकुमार के 1/36 हिस्से का प्रतिवादी सं0 6 व 7 को व मृतक भंवरी पत्नि कल्याण के 1/18 हिस्से का वादी सं0 1 को 1/8 हिस्से, प्रतिवादी सं0 3 को 1/8 हिस्से, प्रतिवादी सं0 2, 8 लगा0 10 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से, प्रतिवादी सं0 6 व 7 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से, प्रतिवादी सं0 5 को 1/8 हिस्से प्रतिवादी सं0 11 लगा0 13 को प्रत्येक को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित

किया जाता है। निज .....–..... मुबलिग.....–..... बाबत्.....–..... खर्चा इस मुक
के मय सूद बशरह.....–..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदाय
तक.....–.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख। 9 माह 7 सन् 20
को जारी की गई।

सुनीता मीणा (RA
उपखण्ड अधिकारी
कि0रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प अर्जी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महन्ताना वकील	–	–
महन्ताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमीश्नर	–	–
फीस कमीश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक	–	–
मीजान	–	–	मीजान	–	–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल